कर्मचारी चयन आयोग

गोपनीय-1/2 अनुभाग

अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई), 2017: पेपर-I (वर्णनात्मक पेपर) के मूल्यांकन के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु पेपर-II के परिणाम की घोषणा।

कर्मचारी चयन आयोग ने निम्नलिखित सेवाओं/संवर्गों के लिए दिनांक 30.07.2017 अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2017 आयोजित की थी:-

(i) केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा।
(ii) सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा।
(iii) भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) (ख)।
(iv) विदेश मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय पासपोर्ट संगठन।
(v) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)।
(vi) विधि कार्य विभाग (डीओएलए)।
(vii) गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महा पंजीयक का कार्यालय।

2. पेपर-I के मूल्यांकन के लिए पेपर-II में आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंकों का विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	पेपर-II में न्यूनतम अर्हक अंक
अनारक्षित	30
अनारक्षित को छोड़कर अन्य श्रेणियां	20

3. तदनुसार, पेपर-I के मूल्यांकन के लिए पेपर-II में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का संवर्ग-वार और श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सेवा/संवर्ग	अजा	अजजा	श्र.दि.	दृ.दि.	अना.	योग
1	केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा	45	13	0	0	141	199
2	सशस्त्र बल मुख्यालय लिपिकीय सेवा	11	7	0	0	70	88
3	भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) (ख)	2	1	0	0	12	15
4	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	8	10	0	0	45	63
5	गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महा पंजीयक का कार्यालय	4	7	0	0	17	28
योग		70	38	0	0	285	393

टिप्पणी : विधि कार्य विभाग (डीओएलए) हेतु किसी रिक्ति की सूचना नहीं दी गई है, अतः विधि कार्य विभाग के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है।

4. अभ्यर्थियों की सूची विशुद्ध रूप से अनंतिम है और परीक्षा विज्ञप्ति में संबंधित पदों के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है।

5. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के संबंध में श्रेणी की स्थिति उनके अनुक्रमांक संख्या के समक्ष दर्शाई गई है। यह संबंधित अभ्यर्थियों के हित में है कि वे ऐसे सभी मामलों में आयोग के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) से तुरंत संपर्क करें, जहां वे अपने अनुक्रमांक संख्या के समक्ष दर्शाई गई श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

6. उक्त परीक्षा का परिणाम अदालती मामलों के कारण रोका गया था। यह परिणाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.06.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/1/2017-सीएस.II (ख) - भाग-I की शर्तों के अनुसार घोषित किया गया है।

7. अर्हताप्राप्त/गैर-अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के पेपर-II के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा।

अवर सचिव (गो.-1/2)
27.09.2022

कर्मचारी चयन आयोग